उत्पीड़न

युवा वयस्कों व किशोरों
के लिए नुस्खे

जनवरी 2014

संशोधित संस्करण

जागोरी इस पुस्तिका में सीमा श्रीवास्तव, जुही जैन, सुरभी भुक्ला, निलांजू दत्ता, मानक मटीयानी, एंव जागोरी टीम का उनके सहयोग के लिए शुक्रिया व आभार व्यक्त करती हैं।

प्रकाशन :
जागोरी
बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
फोनः 91–11–26691219 / 20, फैक्सः 91–11–26691221
हेल्पलाईनः 91–11–26692700 / 8800996640
jagori@jagori.org, safedelhi@jagori.org
www.jagori.org, www.safedelhi.in

सहयोगः
यू. एन. वुमेन ऑफिस इंडिया, भूटान, मालडीव्ज़ एंड श्रीलंका
सी–83, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली –110 024
टेलिफोनः 91–11–40452300, फैक्सः 91–11–40452333
www.unwomensouthasia.org

प्रारूप व सज्जाः अरुणीमा सिंह, लुसिडा और जागोरी
मुद्रणः सिग्नेट जी प्रेस

प्रिय साथियों / दोस्तों

युवाओं व किशोरों के लिए सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए उपयोगी नुस्ख़े प्रदान करने वाली इस पुस्तिका को आपके साथ बांटने में हमें बेहद ख़ुशी हो रही है।

हमारी गुज़ारिश है कि आप ये पुस्तिका अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों ओर सहपाठियों के साथ ज़रूर बांटें।

हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए सम्मान और गरिमा की जगहें बनाने तथा औरतों व लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के सभी रूपों को ख़त्म करने के अभियान में हमारे साथ जुड़ेंगे और बतौर 'चेंजमेकर' इस मुहिम में अपना सक्रिय योगदान करेंगे।

हमारे साथ जुड़ें:

www.safedelhi.in

http://twitter.com/jagorisafedelhi

http://www.facebook.com/SafeDelhiCampaign?ref=ts&fref=ts

यौन उत्पीड़न क्या है?

- अनचाहा स्पर्श, गले लगना, लिपटना या चूमना।
- घूरना, ताकना, सीटी बजाना, आंख मारना।
- अश्लील हरक़तें जैसे जान बूझकर चिपकना, गुप्तांगों को सहलाना, होठों पर जीभ फेरना, आखें तरेरना, नोचना या चूंटी काटना।
- यौन अर्थ वाले, अभद्र कमेंट, सवाल, शब्द, गाने अथवा औरत के शरीर, कपड़ों, शरीर की बनावट, यौनिकता संबंधी यौनिक संवाद व जुमले।
- अभद्र तरीक़ों से गुप्तांगों का प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से हस्त मैथुन करना जिससे औरतों को असहजता, शर्मिन्दगी या गुस्सा महसूस हो।
- कोने में घेरना, झांकना, गले के आसपास ठंडी सांसे छोड़ना जैसी हरक़तों से महिला की निजी जगह और गोपनीयता का हनन करना।
- जान बूझकर या ज़बरदस्ती यौन इंटरनेट साईट, पोर्नोग्राफ़िक फ़िल्में, तस्वीरें, लेख, कार्टून, चुटकुले व ग्राफ़िटी दिखाना या देखने को मजबूर करना।
- यौन प्रस्ताव या अर्थ लिए फ़ोन, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, खत, कार्ड, पोस्टर, तोहफ़े।
- 'डेट', घूमने–फिरने व यौन संबंध बनाने के लिए अनचाहे प्रस्ताव या ज़बरदस्ती।
- स्टॉकिंग (जासूसी करना), मना करने के बावजूद, शारीरिक या अन्य माध्यमों से सम्पर्क बनाना।

- कपड़े उतारना या नग्न होने के लिए मजबूर करना।
- व्वॉयरिज़्म' यानी निजी कार्य करते हुए औरत की फ़िल्म बनाना, बिना बताए फ़ोटो खींचना, देखना और तस्वीरें वितरित करना।
- किसी भी तरह की कार्रवाई, हरक़त, कमेंट, गाने या संवाद के माध्यम से औरत की गरिमा का अपमान करना।

यौन उत्पीड़न क्या है?

क़ानून के अनुसार

आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के अंतर्गत, यौन उत्पीड़न को भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुए सज़ा का प्रावधान किया गया है:

Û /kkjk 294% दूसरों को परेशान करने के इरादे से की जाने वाली अश्लील हरक़तें व गाने।

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरक़त अथवा अश्लील गाने, कविता या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके लिए जुर्माने के साथ, तीन महीने की कैद की सज़ा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

Û /kkjk 354 ,% किसी भी व्यक्ति द्वारा जान बूझकर महिला का शील भंग या अपमान करने के इरादे के साथ किया गया हमला या ज़बरदस्ती के लिए जुर्माना सहित कैद की सज़ा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

क) यौन उत्पीड़न –

1. शारीरिक सम्पर्क व रूझान जिसमें अनचाहे और स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल हों।
2. यौन प्रस्ताव की मांग या निवेदन।
3. महिला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोर्नोग्राफ़ी व अश्लील साहित्य दिखाना।
4. यौन अर्थ वाले जुमले।

सज़ाः तीन वर्ष की अवधि की जुर्माना सहित कैद या दोनों का प्रावधान।

ब) किसी भी महिला को ज़बरदस्ती या डरा–धमकाकर निर्वस्त्र करना या होने को बाध्य करना।

सज़ा : कम से कम तीन से सात वर्ष की सज़ा व जुर्माना।

एस 354 सी दर्शनरति (व्वॉयरिज़्म)

क) 'निजी' गतिविधि में वयस्त महिला को देखना या उसकी फ़ोटो खींचना या फ़िल्म बनाना।

सज़ा : पहली बार अपराध साबित होने पर कम से कम एक से तीन वर्ष की सज़ा व जुर्माना बार–बार अपराध करने पर कम से कम तीन से सात साल की सज़ा व जुर्माना।

स) स्टॉकिंग (लुक–छिपकर पीछा करना)

किसी महिला का जबरन पीछा व उससे मेलजोल या व्यक्तिगत सम्पर्क बनाने की कोशिश जबकि वह स्पष्ट रूप से अपनी अरुचि ज़ाहिर कर चुकी हो अथवा उसके इंटरनेट, ईमेल या अन्य संचार उपकरणों की ताका–झांकी।

सज़ा : तीन वर्ष तक की सज़ा। बार–बार अपराध करने पर सज़ा की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है व जुर्माना।

dk;LFky ij efgykvk d lkFk ;ku fglk ¼cpko] fu"k/k o ifrdkj½ dkuu 2013

''किसी भी महिला के साथ, किसी भी कार्यस्थल या काम की जगह पर, फिर चाहे वह सार्वज़निक हो, चाहे निजी, चाहे वह महिला वहां नौकरी करती हो या नहीं, यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।''

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा (बचाव, निषेध व प्रतिकार) क़ानून 2013 में एस–3(2) के तहत यौन उत्पीड़न को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है।

1. निहित या खुला–

अ) रोज़गार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का वादा;

ब) रोज़गार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की धमकी;

स) मौजूदा व भविष्य में रोज़गार के दर्जे की धमकी;

2. काम में रूकावट पैदा करना या आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार या डराने–धमकाने वाला माहौल बनाना।

3. सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार।

इस क़ानून की धारा एस 2 (0) में कार्यस्थल की परिभाषा में निम्न शामिल किए गये हैं:

- सरकारी विभाग / संस्थान
- निजी खण्ड संगठन / संस्थान
- अस्पताल / नर्सिंग होम
- खेल संस्थान
- काम के सिलसिले में कर्मचारी द्वारा उपयोग की जाने वाली जगह व मालिक द्वारा प्रदान किया गया यातायात।

शिकायत समितिः इस क़ानून के अनुसार हर उस मालिक को, जिसके यहां दस या इससे अधिक व्यक्ति नौकरी करते हों, कार्यस्थल पर यौन हिंसा की शिकायतें निपटाने के लिए एक *आंतरिक शिकायत समिति* का गठन करने का आदेश दिया जाता है। समिति गठित न करने या समिति के सुझावों की अवहेलना करने पर (पहली बार) 50,000 रूपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार में दोहरा जुर्माना और/अथवा व्यवसाय चलाने का लाइसेंस रद्द करने का दंड दिया जा सकता है। (एस 26, एसएचए)

मालिक का यह भी दायित्व है कि भारतीय दंड संहिता के तहत उत्पीड़क के विरूद्ध कार्यवाही करे और पीड़ित महिला को भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही करने में सहयोग प्रदान करे, बशर्ते महिला ख़ुद ऐसा करना चाहती हो। (एस 5, एसएचए)

अगर आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है तो महिला अपनी शिकायत ज़िला कार्यालय द्वारा गठित *स्थानीय शिकायत समिति* के पास भी दर्ज करवा सकती है। (एस 5, एसएचए)

इस क़ानून के तहत शिकायत दर्ज कैसे करें?

कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना के तीन माह के भीतर, आंतरिक/स्थानीय शिकायत समिति (एस 9) के पास दर्ज कर सकती है। अगर महिला मानसिक/शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है तो उसका क़ानूनी उत्तराधिकारी भी शिकायत दर्ज करवा सकता/सकती है।

जांच–पड़ताल के दौरानः

1. पीड़ित महिला या प्रतिवादी का तबादला किया जा सकता है।
2. महिला को तीन महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।
3. महिला को सरकार द्वारा नियत अन्य राहतें प्रदान की जा सकती हैं।

जांच–पड़ताल का परिणामः

अपनी जांच करने के बाद आंतरिक/स्थानीय शिकायत समिति मालिक को साठ दिनों के अंदर –

Û (एस 13, एसएचए) प्रतिवादी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए सेवा नियमों या सरकारी आदेश द्वारा नियत कार्यवाही करने का सुझाव दे।

Û प्रतिवादी के वेतन से उचित धनराशि बतौर मुआवज़ा/जुर्माना घटाने का सुझाव दें।

इस जांच प्रक्रिया के बाद पीड़ित महिला सरकारी अदालत में भी अपील दर्ज कर सकती है। यह अपील समिति द्वारा दिये गये सुझावों के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

उत्पीड़न के अनेक लक्ष्य

लड़कियों, महिलाओं, पुरुषों व लड़कों के अलावा कुछ अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर व अरक्षित समूह और समुदाय भी हैं जिन्हें अपनी सामाजिक पहचान के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में एक ख़ास प्रकार के लैंगिक व यौन झुकाव को नार्मल या सामान्य समझा जाता है। जो कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता वह हिंसा का शिकार बनता है।

शारीरिक, इंद्रीय या मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग व्यक्तियों को कमतर व असक्षम समझा जाता है या उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसी तरह वैकल्पिक यौन झुकाव (पारलिंगी, समलैंगिक पुरुष व महिलांए, द्वलिंगी) और अपारम्परिक लैंगिक व्यवहार करने वालों (ज़नाने व्यवहार वाले पुरुष या मदार्ना बर्ताव करती महिलाएं) को अक्सर अपने बात करने, कपड़े पहनने, यौन झुकाव के कारण मज़ाक और हिकारत का विषय बनना पड़ता है।

किसी भी प्रकार का भेदवाव, अलगाव, बहिष्कार, अपमानजनक या आपत्तिजनक कथन अथवा गोपनीयता का हनन गैर क़ानूनी और अवैध होता है और जिसे यौन उत्पीड़न करार दिया जाता है।

यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों द्वारा किये गये चुनावों को समझें और उनका सम्मान करें तथा उनके प्रति पूर्वाग्रह और असहजता दर्शाने वाले व्यवहारों पर रोक लगाएं। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस तरह के सभी लोगों के अधिकार और चुनावों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जा सके।

लड़कियों/महिलाओं के लिए सुझावः क्या करें–क्या न करें?

- **यौन उत्पीड़न को पहचानें :** आपको असहज, अपमानित या डराने वाला काई भी व्यवहार उत्पीड़न है। यहां यह मायने नहीं रखता कि दूसरे व्यक्ति का इरादा क्या था बल्कि आप क्या महसूस करती हैं इस बात के अधिक मायने हैं। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आप के साथ उत्पीड़न हुआ है तो आपको इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है।

- **ज़ोर और दृढ़ता से 'न' कहें :** उत्पीड़न होने पर उत्पीड़क का सामना करें। अपने जवाब या प्रतिक्रिया में कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा– 'मुझे यह पंसद नहीं' या 'बंद करो'। इन शब्दों को अपनी सायास प्रतिक्रिया बनाने के लिए बार–बार दोहराएं।

- **सतर्क और आत्मविश्वासी बनें :** संयम के साथ उत्पीड़क की आंखों में आंखे डालकर बात करें। दृढ़ता और स्पष्टता से अपनी बात रखें जिससे सामने वाले को सीधा संदेश मिले कि आप सजग हैं और आपको उस जगह मौजूद होने का हक़ है।

- **मेलजोल व सहयोग बढ़ाएं :** अकेलापन हमें अरक्षित बनाता है। दोस्तों व जानकार लोगों का सहयोग और साथ उत्पीड़न रोकने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही, आपकी मौजूदगी में अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी मदद और प्रतिक्रिया के लिए ख़ुद को तैयार रखें।

- **घटना की रिपोर्ट करें :** यौन उत्पीड़न के मामले में घटना की पुलिस में औपचारिक शिकायत बहुत ज़रूरी है। यौन हिंसा अपराध है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह मानवाधिकार हनन का गंभीर मसला है जिसकी रिपोर्ट उचित पदाधिकारियों के पास दर्ज की जानी चाहिए।

- **आपका सम्मान करने वाले लड़कों/पुरूषों की सराहना करें :** पृष्ठभूमि, पहनावे और भाषा के आधार पर लड़कों के प्रति बेरूखी या हिक़ारत आपकी नकारात्मकता और पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। इस तरह का व्यवहार अलगाव पैदा करता है जो प्रतिक्रियात्मक रूप से उत्पीड़न को दावत दे सकता है।

- **हिचकिचाएं नहीं :** आप मदद मांग सकती हैं। यौन उत्पीड़न आपकी गलती नहीं है। आपके सहायता मांगने पर अक्सर लोग आपकी मदद करेंगे। वे स्वयं आपकी मदद के लिए आएंगे इसका इंतज़ार न करें। आप आगे बढ़कर उनकी ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।

- **अपने डर का खुलकर बयान करें :** सड़क या सार्वजनिक जगहों पर डर, घबराहट, अनिश्चितता के साथ या सर झुकाकर न चलें। एक दृढ़ और आत्मविश्वासी चाल अक्सर उत्पीड़न को रोकने में मदद करती है।

- **उत्पीड़न के लिए ख़ुद को दोषी न ठहराएं :** उत्पीड़न पुरूषों द्वारा महिलाओं पर अपनी सत्ता और मर्दानगी प्रदर्शित करने का तरीक़ा है। आपका पहनावा या आपका व्यवहार किसी भी अनचाहे बर्ताव या उत्पीड़न को न्योता नहीं देता।

लड़कों/पुरूषों के लिए सुझाव: क्या करें–क्या न करें?

- **'मर्दानगी' दिखाने से परहेज़ करें :** शारीरिक ताक़त के भद्दे प्रदर्शन और बेहूदे मर्दाने व्यवहारों को कोई भी पसंद नहीं करता। अक्सर लड़के अपने दोस्तों के बीच स्वीकृति और अहमियत पाने या फिर दूसरों की धौंस से बचने के लिए तथाकथित मर्दाना रवैयों का दिखावा करते हैं। इस तरह का व्यवहार उपयुक्त नहीं होता। अपने शब्दों/व्यवहारों पर ध्यान दें। उन्हें परखें, सम्मानजनक और शालीन बनें। अपनी महिला दोस्तों से पूछें कि पुरूषों के कौन से मर्दाने व्यवहार उन्हें अपमानजनक महसूस कराते हैं।

- **औरतों के साथ अपने व्यवहार के प्रति चेतन रहें :** महिलाओं को धौंस जमाना, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार और ज़बरदस्ती की नज़दीकी बढ़ाने वाले बर्ताव नागवार गुज़रते हैं। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार और बात करें। महिला विरोधी भाषा, गाली और अश्लील ज़बान से परहेज़ करें। आप चाहें तो ऐसे उपयुक्त और दोस्ताना व्यवहार और बात करने के तरीक़ों का अभ्यास करें जो आपको अधिक आत्मीय या धौंस जमाने वाले व्यवहार करने से रोकें।

- **लड़कियों/महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें :** लड़कियों को अपनी दोस्त और सहकर्मी समझकर उनका सम्मान करना सीखें। हिकारत और श्रेष्ठता का रवैया अक्सर स्वस्थ दोस्तियों को ख़तरे में डाल देता है।

- **सतर्क रहें और मदद करने के लिए तैयार रहें :** अपने आसपास होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति सतर्क रहें। अगर आपसे सहायता मांगी जाए या अगर आपको लगे कि आपके सहयोग की ज़रूरत है तो मदद करने के लिए तैयार रहें। अक्सर आपके द्वारा दिखाई गई मदद उत्पीड़क को रोकने के लिए काफ़ी होगी। फिर भी, याद रखें कि हर लड़की 'असहाय पीड़िता जिसे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत हो' नहीं होती। यह भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां आपकी दी जाने वाली अनचाही मदद से परेशानी महसूस करें और इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएं।

- **यह मानकर न चलें कि औरतों को छेड़खानी पसंद होती है :** यौन उत्पीड़न एक अपराध है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता; यह महज़ मज़ाक नहीं होता। औरतों को उत्पीड़न से नफ़रत होती है और वे किसी भी तरह के महिला विरोधी मज़ाक या अनचाही छेड़खानी को पसंद नहीं करतीं। हिंदी फ़िल्मों में दिखाए जाने के ठीक विपरीत उत्पीड़न औरतों को असहज और असुरक्षित महसूस करता है।
- **अपने पसंदीदा कपड़े पहनने वाली 'साहसी' महिलाएं उत्पीड़न को दावत नहीं देतीं :** आपका पहनावा आपके चुनाव का आईना है, पर आपके रवैयों या आपके व्यवहार को यह नहीं दर्शाता। पुरूष व महिलाएं दोनों को अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने का हक़ है। हो सकता है कि आपको किसी लड़की का पहनावा पसंद न आए पर इससे आपको अपना गुस्सा या अस्वीकृति दिखाने का अधिकार नहीं मिलता। यौन उत्पीड़न एक अपराध है जिसे किसी भी दलील द्वारा जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।
- **उत्पीड़न को 'हल्का' न समझें :** उत्पीड़न कोई मज़ाक या हल्का–फुल्का व्यवहार नहीं है। यह अनचाही और आक्रामक सत्ता का प्रदर्शन है जो लड़कियों/महिलाओं के आत्म विश्वास को कम करता है और उन्हें गुस्से और नाराज़गी का अहसास दिलाता है।
- **औरतों का उत्पीड़न आपकी मर्दानगी का सबूत नहीं है :** खुद को असली मर्द साबित करने और अपने दोस्तों के बीच स्वीकृति पाने के लिए औरतों का उत्पीड़न करना ग़लत है। औरतों को साथी और दोस्तों की ज़रूरत होती है, बेइज़्ज़त करने और नीचा दिखाने वाले उत्पीड़कों की नहीं। भेड़चाल या भीड़ का साथ देना भेड़–बकरियों का चलन है पर हिंसक उत्पीड़कों की भेड़चाल से खुद को अलग रखकर आप उन लोगों का सम्मान हासिल कर पाएंगे जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं।

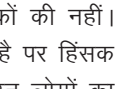

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विरोध, रिपोर्ट और कार्यवाही

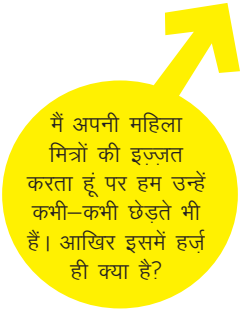

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विरोध, रिपोर्ट और कार्यवाही

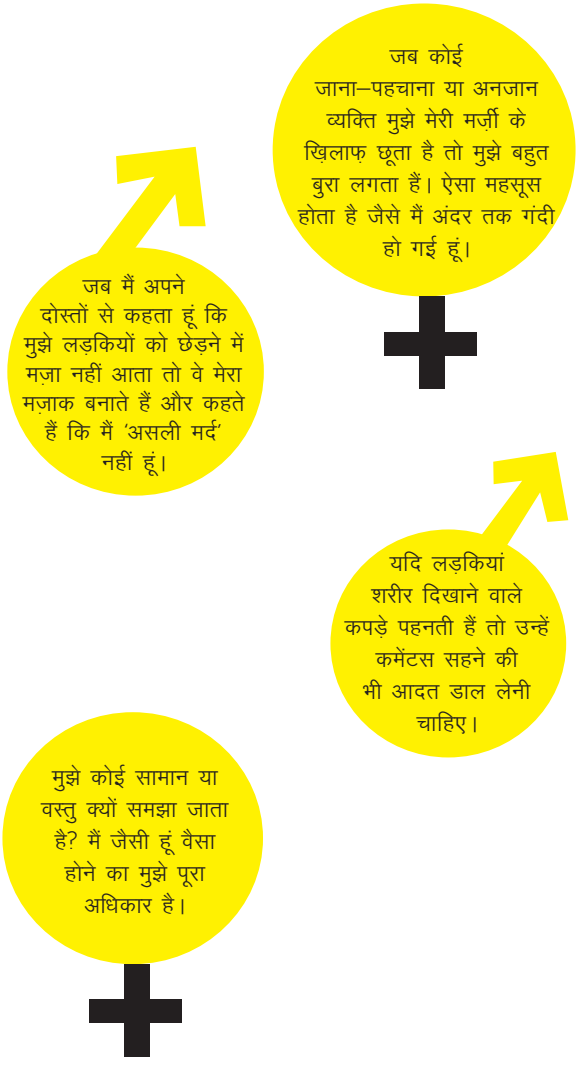

लड़कियों/महिलाओं के लिए एक आख़िरी हिदायत :

खुद को बेवकूफ़ न बनाएं, यौन उत्पीड़न को हरगिज़ नज़रअंदाज़ न करें।

खुद को ढककर रखने से उत्पीड़न को नहीं रोका जा सकता और न ही भारतीय परिधान पश्चिमी वेशभूषा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना आपका हक़ है। ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिसमें आप आरामदायक और आत्म–विश्वासी महसूस करें। यह भी सोच लें कि अगर कोई आपके पहनावे पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो आपका जवाब क्या होगा।

अपनी सामाजिक पहचान और चुनाव से परे एक गरिमा और आत्म–सम्मान का जीवन बसर करना आपका हक़ है। सामाजिक बदलाव आने में लम्बा समय लगता है परन्तु इसके कारण आपको अपने अधिकारों से समझौता करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।

याद रखें–यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। अपनी पहचान पर फ़ख्र करें। ख़ुद को कभी भी कुसूरवार न ठहराएं। जुर्म की रिपोर्ट करें और उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करें। अब सक्रिय कार्यवाही का समय है।

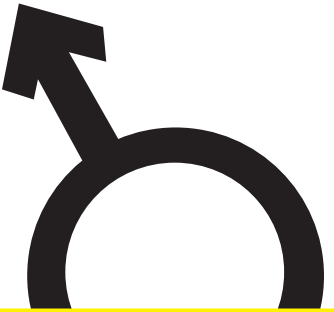

लड़कों/पुरुषों के लिए आख़िरी हिदायत :

आपके लिए एक सरल यौन उत्पीड़न मापक यह है:

कोई भी चुटकुला सुनाने, कमेंट मारने, शरारत करने या किसी लड़की की तरफ़ कदम बढ़ाने से पहले खुद से निम्न सवाल पूछें:

• क्या मैं खुद को उस पर थोपने की कोशिश कर रहा हूं?

• अगर इस घटना को टीवी पर प्रसारित किया जाए या इसे फ़िल्माया जाए तो मुझे कैसा महसूस होगा?

• मेरी इस हरक़त पर मेरी मां, बहन, प्रेमिका या किसी अन्य महिला जानकार की क्या प्रतिक्रिया होगी?

अगर इन सवालों के जवाब आपको असहज महसूस कराएं तो ऐसा कभी न करें। अगर लड़की आपके किसी व्यवहार का कोई जवाब नहीं देती या उनसे असहज महसूस करती है तो उसकी भावना का सम्मान करते हुए इन व्यवहारों को अभी बंद कर दीजिए।

यौन उत्पीड़न का सामना होने पर आप तथा अन्य लोग निम्न व्यवहारों पर अमल करें।

• सड़क या अन्य सार्वजनिक जगह पर :

अपने आसपास मौजूद लोगों (दोस्तों/अजनबियों) की मदद लें और उनका ध्यान उत्पीड़क और इस अपराध की ओर आकर्षित करें। पास के थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। यह पुलिस का कर्तव्य और आपका अधिकार है कि आप उत्पीड़क के ख़िलाफ़ तात्कालिक कार्यवाही की मांग करें। स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय/या किसी अन्य कार्यस्थल या काम की जगह पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉलेज की शिकायत समिति या अन्य आधिकारिक इकाई से सम्पर्क करें। किसी आधिकारिक इकाई के अभाव में महिला विकास केंद्र या स्कूल/कालेज के शिक्षिक/प्राध्यापक या अन्य आधिकरिक प्रतिनिधि से सम्पर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

सामाजिक/क़ानूनी सलाह और परामर्श के लिए आप अन्य संगठनों/समूहों से भी मदद ले सकती हैं। क़ानूनी तौर पर पास के पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ़आईआर) दर्ज कराने का सुझाव इस दिशा में पहला क़दम माना जाता है।

यौन उत्पीड़न/बलात्कार के मामलों में पुलिस का दायित्व है कि प्राथमिकी दर्ज करें। ऐसा करने से मना करने पर पुलिस अफ़सर/कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा एवं 166 ए के तहत छः महीने से दो साल तक की कैद व जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

सभी निजी व सरकारी अस्पतालों को भी तेज़ाबी हमले तथा गंभीर बलात्कार (एस 357सी–आपराधिक दंड संहिता) के मामलों में पीड़ित को मुफ़्त सहायता व चिकित्सीय इलाज प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा न करने पर अस्पताल के

पदाधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा एस 166 बी के तहत एक वर्ष की कैद व जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में इन हैल्पलाइन/सहायता केंद्रों से निम्न नंबरों पर सम्पर्क करें :

अन्य जानकारी व प्रतियों के लिए सम्पर्क:
safedelhi@jagori.org

पुलिस	100
महिला हैल्पलाइन	1091
वरिष्ठ नागरिक	1291/1091
मुख्यमंत्री महिला संकटकालीन केंद्र	181
जागोरी (सोम–शुक्र) सुबह 09:30 से05:30 शाम तक	011–26692700/ 8800996640

आप क्या कर सकती हैं?

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फोनः 011 26691219 / 20 फैक्सः 011 26691221
हेल्पलाइनः 011 26692700 / 08800996640 (सोम से शुक्र प्रातः 9.30 से सायं 5.30)
jagori@jagori.org, safedelhi@jagori.org
www.jagori.org, www.safedelhi.in